



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट में 02 अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 633/2011 धारा- 2/3 गैंगस्टर अधि0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/ गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. बब्लू सिंह उर्फ स्वराज सिंह सेंगर पुत्र जयहिन्द सिंह 2. हरिओम सिंह पुत्र मुन्शी सिंह नि0 गण पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री सुशील  
कुमार



विवेचक-  
निरी0 हवलदार सिंह



पैरोकार- थाना कुरारा  
का0 रजनीश कुमार